

an>

Title: Regarding Land monitisation for BDD Chawl development and Mumbai Trans-harbour link project

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र सरकार ने दो प्रोजेक्ट्स लिये हैं। एक मुम्बई ट्रंस-हार्बर लिंक का और दूसरा बीडीडी चॉल के डेवलपमेंट का है। बीडीडी चॉल के चार कॉम्प्लेक्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स वर्ली, नयगांव, नामदोशी बाग और सिउड़ी में हैं। तीन कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट तो शुरू हुआ, लेकिन सिउड़ी कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट शुरू नहीं हो रहा है और उसी पर मुम्बई ट्रंस-हार्बर लिंक का प्रोजेक्ट भी जा रहा है। ये सारे लैंड बीपीटी के हैं। इसकी वजह से इसके ऊपर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

मैं बार-बार शिपिंग मिनिस्टर माननीय नितिन गडकरी जी से मिला हूँ। वे भी पूर्वी किनारे का विकास चाहते हैं। लेकिन, जो लैंड मॉनिटाइजेशन का विषय है, उसके ऊपर भारत सरकार निर्णय नहीं ले रही है।

बी.पी.टी. लैण्ड पर स्थित हटमेंट डेवलर्स और बी.डी.डी. चॉल जैसी अन्य सौ साल पुरानी कई बिल्डिंग्स तो पब्लिक प्रिमाइसिस एक्ट की वजह से डरी हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार का सन् 1999 का रेन्ट कंट्रोल एक्ट है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री से इस समस्या के निराकरण के लिए विनती करता हूँ कि वे स्वयं इस ओर ध्यान दें ताकि इस ज़मीन को जल्दी से जल्दी अधिकृत कर के राज्य सरकार को दिया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे एवं कुँवर पुणेपेद्र सिंह चन्देल को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।